

संख्या-851/एक-10-2023-33(221)/2011

प्रेषक,

प्रभु एन० सिंह,
सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21/06/2023

विषय:- मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट का कार्य कराये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-224/रा० आ० प्र० प्रा०/2023-24, दिनांक-08.06.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र के दुद्धी ब्लाक में अर्लीवार्निंग मशीनें लगाये जाने का कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2022-23 में समर्पित रू० 93,29,670/- (तिरानबे लाख उन्तीस हजार छः सौ सत्तर मात्र) की धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किये जाने हेतु आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री वज्रपात सुरक्षा कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जनपद-सोनभद्र के दुद्धी ब्लाक में अर्लीवार्निंग मशीनें लगाये जाने का कार्य कराये जाने हेतु रू० 93,29,670/- (तिरानबे लाख उन्तीस हजार छः सौ सत्तर मात्र) की धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष-2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ, उ० प्र० के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य राहत आयुक्त संगठन से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
- (2) स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/ बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) इस सम्बंध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- (4) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक- 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक-31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (5) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर -369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या -42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-23/06/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

851
001-851
51 राजस्व विभाग (द्वैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रणामी	9329670 177529670	9329670 177529670
	योग	वर्तमान प्रणामी	9329670 177529670	9329670 177529670

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

रूपया तिरानवे लाख उन्तीस हजार छः सौ सत्तर
रूपया सत्रह करोड़ पचहत्तर लाख उन्तीस हजार छः सौ सत्तर

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी